

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

उपस्थित:-बलजिन्दर पाल, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

Comp No-58/2023

Order

Sl. No.	Date of Order	Order with Signature of Court	Action taken by Office with date
	21-07-2026	यह परिवाद पत्र जवाहिर राम के द्वारा अभियुक्त लल्लन साह के विरुद्ध दिनांक-27.07.2023 को धारा-420 भा०द०वि० एवं 3(1)(x) एस०सी०/एस०टी० के अंतर्गत लाया गया है। इस वाद में दिनांक-11.01.2025 से लेकर अभितक परिवादी एवं जॉच साक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। प्रस्तुत वाद में जॉच साक्षी का साक्ष्य हेतु काफी लम्बे समय से लंबित है। ऐसा प्रतित होता है कि परिवादी को इस परिवाद पत्र को चलाने में अभिरुची नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए परिवादी के परिवाद पत्र को खारिज किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित ह०/- (बलजिन्दर पाल) अपर सत्र न्या० सह विशेष न्या०, भभुआ, जिला-कैमूर दिनांक 21.07.2026	

कम्पलेन्ट सं०-58 / 2023

दिनांक-21.07.2026

उपस्थित:-बलजिन्दर पाल

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, कैमूर(ममुआ)

जवाहिर राम बनाम् लल्लन साह

--	--	--	--